

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

16⁷/24 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष
वास्तु निर्णय हेतु पेश की। वकील वादी
को बख्श सुनी तथा पत्रावली का इफलेक
किया गया। अतः वादी का वाद पत्र
स्वीकार किया जा रहा है। पत्रावली के
विलंब निर्णय अलग से लिख जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
कमल धुंगर होकर नम्बर से कम
है। वाद द्वारे टाकल दफ्त है।



उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)